प्रारूप
(नियम 12 देखिए)

भूमि के विकास के लिये धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेषिकः–

....

....

....

प्रति,

सहायक सचांलक

नगर तथा ग्राम निवेष

जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा

महोदय,

मैं/हम उस भूमि के जिस पर मैं/हम आवष्यक स्वामित्व अधिकार रखता हूँ/रखते है, जो...................... सड़क/मार्ग वार्ड क्रमांक.................................खंड क्रमांक...........................भूखण्ड क्रमांक.. पर स्थित स्कीम का नाम (यदि कोई हो)..है...वर्ग गज/मीटर माप के भू–भाग पर भवन बनाने/पुनः बनाने, उसमें या/उसकी मरम्मत कराने हेतु अनुज्ञा के लिये आवेदन करता हूँ/करते है।

1. मैं/हम निम्नलिखित प्रतियॉं प्रस्तुत करता हूँ/करते हैः–

(क) संलग्न अनुसूची में कथित किये गये अनुसार रेखांकों, उन्नतांषी तथा अनुभोगों बाबत् पत्रक

(ख) प्रस्तावित भवन का विहित प्रारूप में विषेष विवरण।

2. रेखांक..रजिस्ट्रीकृत वास्तुवंद/सर्वेक्षक का नाम रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.......... .... द्वारा तैयार किये गये है।

3. मैनें अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन बनाये गये नियम में विहित किये गये मान के अनुसार रूपये फीस का निक्षेप कर दिया है।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

पता...

....

क्रमषः

विशेष विवरण पत्रक
प्रस्तावित भवन का विषेष विवरण

1. भूखण्ड का क्षेत्रफल..वर्गफुट

2. कुल निर्मित क्षेत्र

   विद्यमान भू–तल..वर्गफुट / प्रस्तावित..वर्गफुट

   विद्यमान प्रथम मंजिल..वर्गफुट / प्रस्तावित..वर्गफुट

   विद्यमान द्वितीय मंजिल.....................................वर्गफुट / प्रस्तावित..वर्गफुट

3. वह प्रयोजन जिसके कि लिये...भवन का उपयोग आषायित है।

4. विषेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण के उपयोग में लाया जावेगा:–

   (एक) नींव
   (दो) दीवारे
   (तीन) फर्ष
   (चार) छत

5. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या..

6. ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि वास स्थान दिया जाना प्रस्तावित है।

7. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जावेगी।

8. क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है, यदि ऐसा हुआ हो, तो पूर्ववर्ती भवन रहेने के लिये कब से उपयुक्त नहीं रहा...

9. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले जल का स्त्रोत।

....
आवेदक के हस्ताक्षर

अनुसूची

रेखांक :–

1. समस्त जल निकास पंक्तियों, मल संयोंजनों या मलाषय की स्थिति जल व्यूषणथर्ग (सॉक पिट) और गृह जल निकास दर्षाते हुए 16–0'' 1 / 200 के बराबर मान में स्थल रेखांक।
2. निम्नलिखित को दर्षाते हुए 8' बराबर या 1100 के मान में एक भवन रेखांक

एक दो तीन चार	भू–तल रेखांक अन्यत तल रेखांक विशिष्ट अनुप्रच्छेद अन्वायामाच्छेद	नक्षें नियमित अनुमान के प्रारूप में होने चाहिए जिनमें कमरों के समस्त आयाम (डायमेंषन) खुले भाग, दीवार, छत, फर्ष, नीव, आर्द्रता, निरोधक, परक की मोटाई दषाई गई हो।

3. क्षेत्रों की सूची वर्गफुट / वर्गमीटर
   निर्मित क्षेत्र
   खुला क्षेत्र
   भूखंड का कुल क्षेत्र
3. खुले स्थानों की अनुसूची
   अग्र मोड (फ्रंट सेट बैंक)
   बाजू का मोड (साइट सेट बैंक)
   पार्ष्व का मोड(रीअर सेट बैंक)

....
आवेदक के हस्ताक्षर

धारा 29 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेष अधिनियम 1973 एंव मध्य प्रदेष भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 से प्राप्त आवेदन

क्रमांक	विवरण	जानकारी
	आवेदक का नाम पता तथा आवेदन का आवक क्रमांक व दिनांक	
1.	मुख्य रेखांक	
2.	स्थल रेखांक	
3.	उप विभाग–अभिन्यास योजना	
4	विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत	
5.	स्वामित्व संबंधी हक (रजिस्ट्री के साथ तथा शपथ पत्र)	
6.	भूमि का वर्णन (उन भागों के जिन पर/जिनमें कुछ फासलें पर एक सम्पत्ति की छारे हो, नाम बतलाते हुए सीमॉए बतलाते हुए स्थिति) (हॉ/नहीं)	
7.	प्रश्नाधिन भूमि का क्रमांक दर्षाते हुये खसरा योजना और भूमि की बाहरी सीमा में 200 मीटर के भीतर पडने वाली निकटवर्ती खसरा/आवेदित भूमि खसरा मानचित्रों में लाल रंग से दर्षाई गई है। (हॉ/नहीं)	
8.	प्रश्नाधिन भूमि मुख्य पहॅुच मार्ग महत्वपूर्ण, सार्वजनिक भवनों जैसे चिकित्सालय, विद्यालय या सिनेमा, पेट्रोल पम्प तथा भूमि के ईदर्गिद वर्तमान उपयोगों को उपदर्षित करते हुए रेखांक	
9.	भूमि के वर्तमान उपयोग	
10.	प्रश्नगत, भूमि की सीमॉए प्राकृतिक विषिष्टिता ए जैसे नाला,जलाषय, ढलान, हाईटेंषन लाईन, रेल्वे लाईन, टेलीफोन लाईन	
11.	प्रश्नगत भूमि के संबंध समस्त विकास प्रस्थापनाओं को दर्षाते हुए एक रिपोर्ट (हॉ/नहीं)	
12.	उपयोगी कार्यो तथा सेवाओं जैसे जल प्रदाय, जल निकास तथा विद्युत प्रदाय एंव मलाषय (सेप्टिंक टैंक) के ब्यौरे दर्षाते हुए रेखांक उपबंध किया गया है। और उसके साथ उसमें मोरी के बीच जल के निर्वतन को भी दर्षाया गया है।	
13.	प्रस्तावित विद् संबंधी अन्य ब्यौरे	
14.	भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार फीस	
15.	रेखांक (रजिस्ट्रीव योजनानुसार वास्तृविद्/सर्वेक्षण के नाम) द्वारा तैयार किये गये है।	

स्थान :– **आवेदक/प्रार्थी**

दिनांक :–

नाम..

पता..

....

(नियम 17) (1)

किसी भवन विकास निर्माण/पुनः निर्माण/अथवा उसके लिए किसी भाग में परिवर्तन करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति, **क्रमांक...................................**

....

....

....

विषय ....

....

महोदय,

मैं एतद् द्वारा यह सूचना देता हूॅ कि नगर में.. मोहल्ला/बाजार/सड़क/ ....बस्ती मार्ग................................ के खसरा क्रमांक...रकबा... में म0प्र0 भूमि विकास नियम 1983 के नियम 17 के .... के अनुसार विकास/निर्माण/पुर्ननिर्माण/अथवा परिवर्तन करना चाहता हूॅ, और में इसका साथ मेरे तथा वास्तुविद्/इंजीनियर/पर्यवेक्षक नगर निवेषक/वास्तुविद्/(नाम स्पष्ट अक्षरों में).............. ....जो इस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षक करेगा। द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्न रेखांक और विषिष्ट चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूॅ।

1. मुख्य रेखांक
2. स्थल रेखांक
3. उप–विभाग अभिन्यास योजना ९
4. भवन नक्षे
5. सर्वे आयोजना
6. विषिष्टियों सामान्य तथा विस्तृत
7. स्वामित्व संबंधी पत्र

मैं निवेदन करता हूॅ कि विकास/निर्माण को अनुमोदित किया जायें। और मुझे कार्य निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की जावें।

दिनांक.................................

स्वामी के हस्ताक्षर......................................
स्वामी का नाम..
पूर्ण पता...
....

प्रारूप–सात

(नियम 11 देखिए)

भूमि के विकास के लिये धारा–29 के अधीन अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेषक

....

....

प्रति,

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेष

महोदय, तारीख........../.........../20

मैं/हम नीचे वर्णित भूमि के विकास को हाथ में लेने/कार्यान्वित करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन करता हूँ/करते है :–

1–(क) भूमि का बर्णन (उन मार्गो के जिन पर/जिनमें कुछ फासले पर, उस सम्पत्ति का छोर है, नाम तथा सीमा बतलाते हुए स्थिति।)

(ख) क्षेत्रफल..वर्गफुट....................................एकड़ों में

2– मैं/हम एतद् द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज तीन प्रतियों में सलंग्न करता हूँ/करते है अर्थात् :–

(एक) भूमि का वर्णन (उन भागों के, जिन पर/जिनमें कुछ फासले पर उस सम्पत्ति की छोर हो, नाम तथा सीमाएँ बतलाते हुए स्थिति)

(दो) प्रष्नगत भूमि का क्रमांक दर्षाते हुए खसरा योजना और भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के भीतर पडने वाले निकटवर्ती, खसरा/आवेदित भूमि खसरा मानचित्रों में लाल रंग से दषाई गई है।

(तीन) प्रष्नगत भूति, पहूँच मार्ग, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों के जैसे चिकित्सालय, विद्यालय या सिनेमा, पेट्रोलियम तथा भूमि के इर्द–गिर्द वर्तमान उपयोगों को उपदर्षित करते हुए रेखांक ।

(चार) भूमि का वर्तमान, उपयोग (आवासीय) वाणिज्यिक/औद्योगिक/लोक प्रयोजन/खुले स्थानारिक्त भूमि के रूप में है।

(पांच) 5000/41–1/4 अथवा 82–1/2 बराबर एक इंच के मान में मान में एक सर्वेक्षण रेखांक दिया जायेगा रे,खांक प्रष्नगत भूमि की सीमाएं, प्राकृतिक विषिष्ताएं जैसे नाला, जलाषय, वृक्ष, ढलान, समोच्च रेखांक वोल्टता लाईन (हाई टेंषन लाईन) मार्ग अधिकार दर्षाने वाले विद्यमान मार्ग तथा रेलवे लाईन उनके विषेष विवरण तथा सीमाओं सहित विद्युत तथा दूरभाष खंबों की स्थिति और अन्य ऐसी समस्त वाले जिनका कि समीपस्थ क्षेत्रों में समन्वय किये जाने की आवष्यकता हो, दर्षायेगा।

(छः) प्रष्नगत भूमि के संबंध में समस्त विकास प्रस्थापनाओं को दर्षाते हुए एक रिपार्ट।

(सात) उपयोगी कार्यो तथा सेवाओं जैस जल प्रदाय, जल निकास और उसके साथ उसमें मोरी के बीच में जल के निवर्हन को भी दर्षाया गया है।

(आठ) वास्तृविद् संबंधी अन्य ब्यौरे

(नौ) प्रस्थापित विकास कार्य का प्रकार अर्थात आवास विषयक, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपदर्षित करने वाला एक टिप्पण।

3– लेखांक.................................(रजिस्ट्रकृत योजनानुसार वास्तृविद्/सर्वेक्षक का नाम) द्वारा तैयार किये गये है। रजिस्ट्रीकरण क्रमांक...पता...

4– मैनें विहित किये गये मान के अनुसार..रूपये फीस निक्षिप्त कर दी है।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

पता...

....